भारत का संघ सचिव एवं अन्य के माध्यम से

बनाम

राहुल रसगोत्र एवं अन्य

फरवरी 1,1994

[जे. एस. वर्मा, एन. पी. सिंह और एन. वेंकटचाला, जे. जे.]

भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954: नियम 2 (ए), 3,4,5 और एक्सप्लेनेशन 'संवर्ग अधिकारी'- की व्याख्या- परिवीक्षाधीन में छूट शामिल -उप नियम 5 (1) में स्पष्टीकरण का सम्मिलन- प्रकृति में आयोजित स्पष्टीकरण का प्रभाव।

भारतीय पुलिस सेवा- चयन- उसी बैच में चुने गए अधिकारी के साथ प्रशिक्षण से छूट -अगले बैच में चुने गए अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण- उसी बैच में चुने गए अधिकारियों के साथ कैडर का आवंटन न कि अगले बैच के अधिकारियों के साथ -कैडर आवंटन का उद्देश्य– व्याख्या

भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954: नियम 2 (एए), 4,6 और 7-का दायरा।

भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति)

विनियम, 1955-विनियम 7-का दायरा।

भारतीय पुलिस (परिवीक्षा) नियम 1954

नियम 2 (ई. ई.)-छूट प्राप्त परिवीक्षाधीन-कौन है-नियम 10-का दायरा।

भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता विनियमन) नियम, 1988: नियम 3 और 4-का दायरा।

अभ्यास और प्रक्रिया।

सरकारी मामले- न्यायालय द्वारा माँगे अभिलेख प्रस्तुत करने में विफलता और सरकार द्वारा मामलों का लापरवाह आचरण। इस संबंध में तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

दो अपीलों में से पहली में प्रतिवादी संख्या 1 भारतीय पुलिस सेवा 1988 में आयोजित परीक्षा में चयनित और एक परिवीक्षाधीन 1989 बैच के छात्र को 1989 बैच के अन्य परिवीक्षाधीनों के साथ प्रशिक्षण में शामिल होने से छूट दी गई थी क्योंकि वह अपनी संभावनाओं को सुधारने के लिए अगली परीक्षा में उपस्थित होना चाहते थे। हालाँकि, वह सफल नहीं हुए और वे 1990 बैच के परिवीक्षाधीनों के साथ 1989 बैच के छूट प्राप्त परिवीक्षाधीन के रूप में 1990 में प्रशिक्षण में शामिल हुए। भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के अनुसार, उन्हें 1989 बैच के परिवीक्षाधीन के रूप में मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के संयुक्त संवर्ग में संवर्ग आवंटन किया गया था।

संबंधित अपील में अन्य प्रतिवादी, जो 1989 की परीक्षा में भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुना गया और 1990 बैच के एक परिवीक्षाधीन था, उन्होने भी अगली परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी, लेकिन बाद में अपना अनुरोध वापस ले लिया और 1990 बैच के परिवीक्षाधीनों के साथ प्रशिक्षण में शामिल हो गए और उन्हें 1990 बैच के परिवीक्षाधीन के रूप में उड़ीसा संवर्ग आवंटित किया गया।

दोनों उत्तरदाताओं ने केंद्रीय मंत्रालयी न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर किए एवं उनके संवर्ग आवंटन को चुनौती दी। इस बीच नियम 5 में 1.1.1988 से पूर्वव्यापी प्रभाव देता एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया जिसमें प्रावधान किया गया कि नियम 5 के प्रयोजनों के लिए 'संवर्ग अधिकारी' में भारतीय पुलिस सेवा को आवंटित व्यक्ति शामिल है और सेवा में शामिल होने के लिए समय का विस्तार दिया गया है।

न्यायाधिकरण ने उनके दावे को स्वीकार कर लिया लेकिन कहा कि नियम 5 में पूर्वव्यापी संशोधन का स्पष्टीकरण सम्मिलित करना प्रत्यर्थियों के मामले में लागू नहीं था।

न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ, भारत संघ ने इस न्यायालय में अपील की है

उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि किसी अधिकारी को संवर्ग आवंटन तभी किया जा सकता है जब वह सेवा में नियुक्ति के पश्चात

आई. पी. एस. का सदस्य बन जाता है जो तब होता है जब वह अपनी नियुक्ति पर प्रशिक्षण में शामिल होता है न कि इस से पहले; चूंकि उत्तरदाताओं में से एक 1990 में प्रशिक्षण में शामिल हो गया था, और 1989 में उसका संवर्ग आवंटन किया गया था जब वह 'संवर्ग अधिकारी' नहीं था, और उसके मामले में 1990 बैच के अधिकारियों के साथ नए संवर्ग का आवंटन किया जाना चाहिए।

अपीलों को अनुमति दे कर और न्यायाधिकरण के आदेशों को दरकिनार कर यह न्यायालय निर्णीत करता है की प्रत्यर्थियों द्वारा किया गया दावा असमर्थनीय है। चयनित उम्मीदवार, जिसे किसी विशेष सेवा के लिए आवंटित किया गया था, को संवर्ग आवंटन का उद्देश्य केवल उस राज्य संवर्ग को इंगित करना है जिसमें वह सेवा में होगा और उसके लिए आवश्यक नहीं है की वह वास्तव में प्रशिक्षण में शामिल हों।

सेवा में कुल रिक्तियों की संख्या और किसी विशेष बैच के लिए राज्य संवर्गों में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या ज्ञात होने के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षा में चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या एवं योग्यता के क्रम में उनकी तुलनात्मक स्थिति ज्ञात होने पर, उस स्तर पर संवर्ग आवंटन का अभ्यास करने के लिए कुछ भी अन्य आवश्यक नहीं है और उस अभ्यास को बाद की तारीख तक स्थगित करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होता है। अतः इस प्रकार कैडर आवंटन को तब तक स्थगित करने की

आवश्यकता नहीं है जब तक कि कोई उम्मीदवार चयनित उम्मीदवारों के बीच योग्यता में अपनी तुलनात्मक स्थिति के आधार पर विशेष सेवा आवंटित होने के बाद प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो जाता है। [520- सी; 517-एच; 518-ए-सी]

2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण से छूट देना स्वयं इस तथ्य का संकेत है कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, 'छूट प्राप्त परिवीक्षाधीन' को भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य के रूप में माना जाता है और उसे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण शुरू करने से छूट दी जाती है। अतः कोई कारण नहीं है की कैडर आवंटन के उद्देश्य से उन्हें परिवीक्षाधीन और इसलिए भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य के रूप में न माना जाए । [518- ई-जी]

3. भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 छूट प्राप्त परिवीक्षाधीन को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एक ही बैच के परिवीक्षाधीन और इसलिए भारतीय पुलिस के सदस्य के रूप में भी उसी तरह माना जाता है जो उस बैच के किसी एक छूट प्राप्त परिवीक्षाधीन परिवीक्षाधीन के रूप में नहीं है। भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 (1) में 'संवर्ग अधिकारी' के अर्थ को इस तरह से भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य के रूप में समझा जाना चाहिए। [519- बी-सी]

4. नियम 5 के उप-नियम (1) में पूर्वव्यापी रूप से जोड़ा गया स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जोड़ा गया है

जो इस स्पष्टीकरण की सहायता के बिना भी प्रावधानों में निहित है। [520- बी]

5. न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि पूर्वव्यापी संशोधन नियम 5 (1) का 1.1.1988 से अंतःस्थापित स्पष्टीकरण प्रत्यर्थी के आवेदन ,जो संशोधन किए जाने के समय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित था, पर लागू नहीं होता है ,असमर्थनीय है। यह स्पष्टीकरण केवल मौजूदा स्थिति का स्पष्टीकरण है। [520- डी-ई]

6.1. जिस तरह से आम तौर पर इस न्यायालय में सरकार की ओर से मामले संचालित किए जाते हैं और जब सरकार प्रतिकूल आदेश के परिणाम को दूर करने के लिए इस न्यायालय में आती है यह गहरा दुख का विषय है। [520- एफ]

6.2. वर्तमान मामले में, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा संबंधित अधिकारियों से दस्तावेज़ प्राप्त करने और प्रस्तुत करने में व्यक्त पूरी तरह से असहायता भारत सरकार की ओर से मामले के संचालन के लिए व्यक्ति की उदासीनता को दर्शाता है। यह निश्चित नहीं है कि सरकार की ओर से मामले के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की ऐसी चूक जानबूझकर या अनजाने में हुई है या नहीं, लेकिन वे निश्चित रूप से दोषी हैं जिनकी संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच की जानी चाहिए ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके और उन्हें सार्वजनिक हित में दंडित किया जा सके।

यह समय है कि दोषियों को उनकी खामियों के कारण सार्वजनिक धन के नुकसान के लिए भी जवाबदेह और उत्तरदायी बनाया जाए। अब और गिरावट को रोकने और प्रणाली के काम काज में सुधार के लिए किए गए घोषित वादो को लागू करने के लिए कठोर कदम उठाने का समय आ गया है। [521- सी-एफ]

6.3. सरकारें सबसे बड़ी वादी होने के नाते, तुच्छ मुकदमेबाजी को कम करके और आवश्यक मुकदमेबाजी का उचित संचालन सुनिश्चित करके उनकी मशीनरी के कामकाज में सुधार की आवश्यकता है। जब तक इस संबंध में वांछनीय कदम सही मायने में नहीं उठाए जाते हैं, अदालतों में बैकलॉग को कम करने के लिए उपाय खोजने के लिए कितने भी सेमिनार और सम्मेलन व्यर्थ हैं और उनमें किए गए संकल्प खाली नारे हैं। यह इस उम्मीद के साथ दोहराया जाता है कि संबंधित अधिकारी वास्तविक अस्वस्थता से जागेंगे और इसके तंत्र में सुधार के कार्यक्रम को वास्तविकता बनाने के लिए काम करेंगे। [521- एफ-एच]

भारत संघ और अन्य बनाम वी. ए. राधाकृष्णन और अन्य। [1991] 3 एस सी आर।

895, संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5414/1993.

केंद्रीय मंत्रालयी न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के 1992 के ओ. ए. सं. 1478 के निर्णय और आदेश दिनांकित 31.7.1992 से।

1993 की सिविल अपील सं. 3844 के साथ ।

अपीलार्थियों की ओर से वी. आर. रेड्डी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, एन. एन. गोस्वामी, मनमोहन, सुश्री बीना गुप्ता, सुश्री मोनिका मोहिल, सी. वी. एस. राव और हेमंत शर्मा।

उत्तरदाताओं के लिए पी. पी. राव, एन. एन. गोस्वामी, वी. जे. फ्रांसिस, वी. सुब्रमण्यम, ए. के. बेहरा और एस. एम. गर्ग।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वर्मा, जे. 1. 1992 की सिविल अपील संख्या 5414 में प्रतिवादी संख्या 1 राहुल रसगोत्रा को संयुक्त रूप से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा वर्ष 1988 में भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुना गया था। जबकि 1993 की सिविल अपील संख्या 3844 में प्रतिवादी संख्या 1, देश राज सिंह को वर्ष 1989 में आयोजित संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुना गया था। इसलिए राहुल रसगोत्रा 1989 बैच के आई. पी. एस. में परिवीक्षाधीन थे, जबकि देशराज सिंह 1990 बैच के परिवीक्षाधीन आई. पी. एस. थे। राहुल रसगोत्र को आई. पी. एस. के 1989 बैच के ऑर्डर परिवीक्षाधीनों के साथ प्रशिक्षण में शामिल होने से छूट दी गई थी क्योंकि वह बेहतर सेवा के लिए चयनित होकर अपनी संभावनाओं में सुधार करने

के प्रयास में वर्ष 1989 में आयोजित अगली परीक्षा में शामिल होना चाहते थे। हालाँकि, वह सफल नहीं हुए और वे अगस्त 1990 में 1990 बैच के परिवीक्षाधीनों के साथ 1989 बैच के एक छूट प्राप्त परिवीक्षाधीन के रूप में प्रशिक्षण में शामिल हुए। देशराज सिंह ने भी अगली परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना अनुरोध वापस ले लिया और 1990 बैच के परिवीक्षाधीनों के साथ प्रशिक्षण में शामिल हो गए। राहुल रसगोत्रा 1989 के बैच में 168 वें स्थान पर थे और उनके रैंक के अनुसार 28.12.1989 पर उन्हें किया गया संवर्ग आवंटन मणिपुर और त्रिपुरा राज्य के संयुक्त संवर्ग में था। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि 1989 बैच में उनके पद के अनुसार, उन्हें आवंटित कैडर उपयुक्त है। राहुल रसगोत्रा का दावा है कि उन्हे संवर्ग आवंटन 1989 के बजाय 1990 के बैच के साथ एक प्रोबेशनर के रूप में माना जाना चाहिए क्यूंकि वह 1989 बैच के छूट प्राप्त परिवीक्षाधीन के रूप में वे 1990 बैच के परिवीक्षाधीनों के साथ प्रशिक्षण में शामिल हुए थे और उन्हें इस आधार पर कैडर का आवंटन किया जाना चाहिए और उन्हें मणिपुर और त्रिपुरा से बेहतर राज्य के संवर्ग के लिए आवंटन प्राप्त होगा। हालाँकि, वह इस बात का संकेत नहीं देते हैं कि उन्हें 1990 बैच के परिवीक्षाधीनों के साथ कैसे मिलाया जा सकता है या उन्हें उनके साथ एक रैंक दी जा सकती है। देश राज सिंह को 1990 बैच के परिवीक्षाधीन के रूप में उड़ीसा संवर्ग आवंटित किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश को आवंटन का दावा

किया। वह भी उन्हें उड़ीसा संवर्ग के आवंटन से व्यथित हैं। दोनों ने कैडर आवंटन को चुनौती देते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर किए। ट्रिब्यूनल ने उनके दावे को स्वीकार कर लिया है। इसलिए विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें भारत संघ द्वारा दायर की जाती हैं।

अब हम कुछ प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 संवर्गों का गठन, विभिन्न संवर्गों को सदस्यों का आवंटन और कुछ सहायक मामले के लिए प्रावधान करता है । नियम 2 (ए) 'कैडर अधिकारी' को भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य के रूप में परिभाषित करता है। नियम 3 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह के लिए एक भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग का गठन किया जाएगा। नियम 4 नियम 3 के तहत गठित प्रत्येक संवर्ग की संख्या और संरचना से संबंधित है। नियम 5 जो महत्वपूर्ण है, निम्नानुसार हैः

> " 5. विभिन्न संवर्गों को सदस्यों का आवंटन- 5 (1) विभिन्न संवर्गों में संवर्ग अधिकारियों का आवंटन केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से या संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा

5 (2) केंद्र सरकार, की सहमति से संबंधित राज्य सरकारें, एक कैडर अधिकारी का एक कैडर से दूसरे कैडर स्थानांतरण करती हैं

नियम 5 के उप-नियम (1) के संदर्भ में, केंद्र सरकार से विभिन्न संवर्गों के लिए संवर्ग अधिकारियों का आवंटन संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकारों के परामर्श की आवश्यकता है। नियम 5 के उप-नियम (2) में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की सहमति से एक संवर्ग अधिकारी को एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में स्थानांतरित करने का प्रावधान है।

3. प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए वकील श्री पी. पी. राव की इन अपीलों में मुख्य तर्क यह है कि केंद्र सरकार द्वारा नियम 5 के उप-नियम (1) के अनुसार केवल एक 'संवर्ग अधिकारी' का संवर्ग आवंटन किया जा सकता है जैसा कि नियम 2 (ए) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है भारतीय पुलिस सेवा का सदस्य; और, इसलिए, यह एक अधिकारी को तभी बनाया जा सकता है जब वह नियुक्त करके भारतीय पुलिस सेवा का सदस्य बन गया हो। ऐसा तब किया जाता है जब संबंधित अधिकारी अपनी नियुक्ति पर प्रशिक्षण में शामिल होता है न कि पहले। तर्क यह है कि प्रतियोगी परीक्षा और सफल उम्मीदवार को किसी विशेष सेवा के आवंटन के परिणामस्वरूप चयन पर, वह सेवा का सदस्य नहीं बनता है जो केवल

तब होता है जब उसे प्रशिक्षण में शामिल करके सेवा में नियुक्त किया जाता है। इस आधार पर, यह तर्क दिया गया कि राहुल रसगोत्रा के प्रकरण दिसंबर 1989 में कैडर आवंटित हुआ जबकि उसने प्रशिक्षण अगस्त 1990 में प्राप्त किया, अपने बैच के अन्य अधिकारियों के साथ 1989 प्रशिक्षण में छूट मिलने के बाद जबकि उस समय वह कैडर अधिकारी भी नहीं था ।जो वह अगस्त 1990 में बना, 1990 बैच के अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण में भाग लेने के बाद यह प्रस्तुत किया गया था कि दिसंबर 1989 में राहुल रसगोत्र का कैडर आवंटन अगस्त 1990 में प्रशिक्षण में शामिल होने से पहले किया गया था, नियम 5 (1) के तहत शक्ति तब उपलब्ध नहीं थी और उनके मामले में अगस्त 1990 में मौजूद तथ्यों के आधार पर 1990 बैच के अधिकारियों के साथ एक नया कैडर आवंटन किया जाना था जो उसी समय प्रशिक्षण में शामिल हुए थे। निवेदन यह है कि इस आधार पर वह एक बेहतर संवर्ग के लिए आवंटन की उम्मीद करते हैं, जिसके लिए वह 1990 बैच के अधिकारियों के साथ संवर्ग आवंटन के लिए विचार करने के हकदार हैं।

4. प्रत्यर्थी संख्या 1 विद्वान श्री पी. पी. राव के तर्क में हमें कोई योग्यता नहीं मिलती है।

5. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 'प्रत्यक्ष भर्ती को परिभाषित करता है।

नियम 2 (एए) में 'भर्ती' का अर्थ नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ए) के तहत भर्ती के बाद सेवा में नियुक्त व्यक्ति से है। नियम 4 सेवा में भर्ती की विधि से संबंधित है और उप-नियम (1) के खंड (ए) में प्रतियोगी परीक्षा की विधि प्रदान की गई है, के अंतर्गत नियम 4 (2) आवश्यक है

प्रत्येक अवसर पर भर्ती की प्रत्येक विधि द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण जो भर्ती की किसी भी अवधि के दौरान रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक हो सकता है। नियम 6 केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीकों के अनुसार सेवा में नियुक्ति का प्रावधान करता है। नियम 7 प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती से संबंधित है। इन दोनों अपीलों में प्रत्यर्थी संख्या 1 को इस प्रकार नियुक्त किया गया था।

6. भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति विनियम, 1955)

भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 7 के अनुसरण में विनियम, 1955 बनाए गए हैं, जिसमें विनियम 7 प्रतियोगी परीक्षा के परिणामस्वरूप उम्मीदवारों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित सफल उम्मीदवारों की सूची तैयार करने का प्रावधान करता है।

7. भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954, नियम 2 (ई) में, परिवीक्षाधीन' को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसे परिवीक्षा

पर नियुक्ति प्राप्त हुई है इसमें एक छूट प्राप्त परिवीक्षाधीन भी शामिल है जबकि उसे नौकरी में नियुक्ति परिवीक्षा पर प्राप्त हुई है। नियम 2 (ई. ई.) 'छूट प्राप्त परिवीक्षाधीन' को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसे सेवा के लिए आवंटित होने पर उसने आगामी परीक्षा में भाग लेने का आशय वयक्त किया है और उसे आगामी परीक्षा में भाग लेने पर परीविक्षाधीन प्रशिक्षण में भाग लेने से छूट दी गयी है।

ऐसा प्रकट होने के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण से। जाहिर है, सेवा के लिए आवंटन एक 'छूट प्राप्त परिवीक्षाधीन' के मामले में भी पूरा होता है। यह इस मायने में है कि राहुल रसगोत्रा 1989 बैच के छूट प्राप्त परिवीक्षाधीन थे। नियम 3 परिवीक्षा अवधि से संबंधित है। नियम 5 परिवीक्षाधीन के प्रशिक्षण से संबंधित है। नियम 10 परिवीक्षाधीनों की वरिष्ठता से संबंधित है और निम्नानुसार हैः

> " 10. परिवीक्षाधीन की वरिष्ठता।- 10 (1) केंद्र सरकार उसी प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्त किए गए सभी परिवीक्षाधीनों की दो भागों में एक सूची तैयार करेगा।
>
> उसी प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों पर सेवा को।
>
> पहले भाग में छूट प्राप्त परिवीक्षाधीनों के अलावा अन्य परिवीक्षाधीन शामिल होंगे छू और दूसरे भाग में छूट प्राप्त

परिवीक्षाधीन जो समान प्रतियोगी परीक्षा में चयनित हुए थे वे दूसरे भाग में शामिल होंगें परविक्षाधीन जो सूची एक में रखे गये है उन्हें दूसरे भाग में शामिल छूट प्राप्त परीवीक्षाधीनों Bloc उपर रखा जायेगा। सूची को योग्यता के क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा जो परीविक्षाधीन या छूट प्राप्त परविक्षाधीन द्वारा प्राप्त सकल अंको के मुताबिक तय की जायेगी जैसा भी मामला हो

(क) प्रतियोगी परीक्षा में;

(ख) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय में उनके रिकॉर्ड प्रशासनिक अकादमी और प्रशासन अकादमी और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और उसके रिकार्ड के संबंध में (ग) अंतिम परीक्षा में। बशर्ते कि यदि दो या दो से अधिक परिवीक्षाधीनों ने समान सकल अंक प्राप्त किए हो

कुल मिलाकर अंकों की संख्या, उनकी योग्यता का क्रम उनकी जन्मतिथि के अनुसार होगा परिवीक्षाधीनों की परस्परवरिष्ठता, जिन्हे आवर्तन समान वर्षमें किया गया है उपनियम 1 में तैयार सूची के मुताबिक किया जाएगा जो इस प्रकार हैं (जोर दें)

8. भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता विनियमन) नियम, 1988 भी महत्वपूर्ण है। नियम 3 और 4, जहाँ तक वे सारवान हैं, निम्नप्रकार से पढ़ा जा

" 3. कार्यभार के वर्ष् का आवंटन (1) प्रत्येक अधिकारी को कार्य भार के वर्ष् का आवंटन निम्नाकिंत प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा

(2) सेवारत अधिकारी का आवंटन वर्ष इन नियमों के आरंभ होन के समय वही होगा, जो उसे केंद्र सरकार के नियमों, आदेशों व निर्देशों के अनुसार, जो इन नियमों के शुरु होने से पूर्व, उसे कार्य भार के रुप में दिए गए या दिए जा सकते थे।

(3) इन नियमों के शुरू होने के बाद सेवा में नियुक्त अधिकारी का आवंटन वर्ष् निम्नानुसार होगाः

(i) प्रत्यक्ष भर्ती हुए अधिकारी का आवंटन वर्ष, प्रतियोगी परीक्षा जिस वर्ष् हुई उसके बाद का होगा

बशर्ते है कि छूट प्राप्त परिवीक्षाधीन जिन्हे भारतीय पुलिस सेवा (परविक्षा) नियम 1954 के नियम 2 खण्ड (ईई) में परिभाषित किया गए है के मामले में व प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारी जिन्हे भारतीय पुलिस सेवा (परिविक्षा) नियम

1954 के अन्तर्गत पश्चातवती आवंटित प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारीयों के साथ परीविक्षा की अनुमति दी गई को कार्य भार आवंटन पश्चातवर्ती वर्ष् का दिया जाएगा

4. अधिकारियों की परस्परवरिष्ठता- जिन अधिकारीयों को उसी वर्षआवंटन सौपा गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता निम्न आदेशों के मुताबिक व प्रत्येक श्रेणी मेंवरिष्ठता निम्नानुसार निर्धारित होगी

(i) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम 1954 के निमय 10 के मुताबिक प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारियों की परस्पर क्रम बद्धता उनकी योग्यता के मुताबिक तय होगी

वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक प्रावधान लिए हैं।

9. यह भी उद्धिरत किया जा सकता है कि भारत सरकार का नोटिफिकेशन जो गैजैट में 13-01-1993 को प्रकाशित हुआ। इसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा(कैडर) नियम 1954 में एक स्पष्टीकरण जोडा गया जो 01-01-1988 से प्रभावी माना जाएगा इस प्रकार पढा जायेगा।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संवर्ग अधिकारी ने भारतीय पुलिस सेवा (भरती) नियम 1954 के नियम 7 व उपनियम 1 में प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में आवंटित व्यक्ति के साथ भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति) निर्देश

1955 के अन्तगत जिन्हे सेवा में शामिल होने से समय बढाने की छूट दी गई थी भी शामिल होंगे

ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूर्वव्यापी संशोधन नियम 5 के उप-नियम (1) में स्पष्टीकरण स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का है और ऐसे मामलों में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का परिणाम था। इस स्पष्टीकरण के साथ, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि राहुल रसगोत्रा जैसे छूट प्राप्त परिवीक्षाधीन भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के उद्देश्य के लिए एक 'संवर्ग अधिकारी' होंगे, जो प्रशिक्षण में शामिल होने से पहले ही नियम 5 के अनुसार उन्हें संवर्ग आवंटन की शक्ति का प्रयोग करेंगे। सवाल यह हैः क्या नियम 5 के उप-नियम (1) के स्पष्टीकरण के बिना भी यह स्थिति थी? हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा ही था।

10. चयन और नियुक्ति के लिए विभिन्न कदम जो अखिल भारतीय सेवा जैसे कि भारतीय पुलिस सेवा के अभयथ्री जो सयुक्त प्रतियोगी परीक्षा और राज्य संवर्ग के आवंटन के से है इस प्रकार है (i) प्रतियोगी परीक्षा; (ii) प्रतियोगिता में चयन और उनकी योग्यता के क्रम का निर्धारण; (iii) योग्यता के क्रम में उनकी स्थिति के आधार पर उन्हें विशेष अखिल भारतीय सेवा का आवंटन; और (iv) उन्हें राज्य संवर्ग का आवंटन। इस से स्पष्ट है कि चयनित अभयथीर् को किसी विशिष्ट अखिल भारतीय सेवा जैसे

कि भारतीय पुलिस सेवा के आवंटन के चरण के बाद ही राज्य संवर्ग का आवंटन किया जाएगा किसी चयनित उम्मीदवार को जिसे किसी विशिष्ट सेवा में आवंटन दिया गया है, को संवर्ग आवंटन का उद्देश्य व कारण केवल यह इंगित करना है कि वह सेवओं में किस राज्य संवर्ग का है, और इसके लिए आवश्यक नही कि वह वास्तव में प्रशिकक्षण में भाग ले

सेवा में कुल रिक्तियों की संख्या और किसी विशेष बैच के लिए राज्य संवर्गों में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या ज्ञात होने के साथ-साथ योग्यता के क्रम में अपनी तुलनात्मक स्थिति के साथ प्रतियोगी परीक्षा में चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या, उस स्तर पर संवर्ग आवंटन का अभ्यास करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए और उस प्रक्रिया को बाद की तारीख तक स्थगित करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होता है। इस प्रकार कैडर आवंटन को तब तक स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि कोई उम्मीदवार चयनित उम्मीदवारों के बीच योग्यता में, उनकी तुलनात्मक स्थिति के आधार पर भारतीय पुलिस की तरह विशेष सेवा आवंटित होने के बाद प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो जाता है।

इसलिए, केवल एक ही सवाल हैः क्या भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 भारतीय पुलिस सेवा को आवंटित किए जाने के बाद अधिकारी के वास्तव में प्रशिक्षण में शामिल होने से पहले इस अभ्यास के प्रदर्शन को मना करता है।

11. भारतीय पुलिस सेवा के नियम 2 (ई. ई.) में छुट प्राप्त परिवीक्षाधीन (परिवीक्षा) नियम, 1954 को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन के रूप में माना जाता है और इसी कारण से वह छूट चाहता है और उसे कुछ समय के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण से दूर रहने की अनुमति दी जाती है। ताकि वह आगामी परीक्षा दे सके छूट देने का यह अपने आप में इस तथ्य का संकेत है कि भारतीय पुलिस सेवा में उसे आवंटन दिया जा चूका है किंतु छूट प्राप्त होने के कारण वह परीविक्षाधीन प्रशिक्षण बाद में प्राप्त करेगा, अन्य शब्दों सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए व भारतीय पुलिस सेवा के परीविक्षाधीन के रूप में माना जाएगा और इसी कारण से उसने परीविक्षाधीन प्रशिक्षण से तात्कालिक समय के लिए छुट मांगी और उसे दी गई। छुट देने की यह घटना अपने आप मे यह संकेत देती है कि सभी व्यवाहारिक उदेश्य के लिए वह भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य के रूप में समझा जाएगा, और उसे परीविक्षा के प्रशिक्षण आरंभ करने से छूट दी गयी । अतः ऐसा कोई कारण नहीं है कि संवर्ग आवंटन के उदेश्य से उसे परविक्षाधीन की भांति भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य के रूप में नहीं माना जा सकता है व इसी कारण भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य के रूप में नहीं माना जा सकता। भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 10 जो परीवीक्षाधीन की वरिष्ठता से संबंधित है यही संकेत देता है। नियम 10 में एक ही प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों पर सेवा में नियुक्त किए गए

सभी परिवीक्षाधीनों की एक सामान्य सूची की आवश्यकता होती है, भले ही दो भागों में हो, जिसके पहले भाग में छूट प्राप्त परिवीक्षाधीनों के अलावा अन्य परिवीक्षाधीन शामिल होते हैं।

परिवीक्षाधीन और दूसरे भाग में छूट प्राप्त परिवीक्षाधीन होते हैं जिन्हें एक ही प्रतियोगी परीक्षा में चुना गया था, और वे जो पहले भाग में En-bloc को छूट प्राप्त परिवीक्षाधीनों के ऊपर रखा जाता है जो दूसरे भाग में थे।

इस प्रकार, छूट प्राप्त परिवीक्षाधीनों को भी उसी प्रतियोगी परीक्षा में चुने गए परिवीक्षाधीनों के रूप में माना जाता है और उसी बैच के परिवीक्षाधीनों की सामान्य सूची में शामिल किया जायेगा। केवल यहां वरिष्ठता के संभावित नुकसान अंतर होगा जब एक ही बैच के परिवीक्षाधीनों की सामान्य सूची में एक ही बैच के प्रतियोगी परीक्षा में योग्यता के क्रम में कम श्रेणी के परिवीक्षाधीन के मामले में जो परीविक्षाधीन परीक्षा में परिणाम में निम्न स्थान पर है, सूची के पहले भाग में है। छूट प्राप्त परिवीक्षाधीन को देरी से प्रषिक्षण् में शामिल होने का यह एकमात्र अंतर है परिणाम के तौर पर आयेगा, भारतीय पुलिस सेवा परीव्क्षा नियम 1954 के पढने से यह स्पष्ट होता है कि यह व्यवहारिक उदेश्य के लिए व सभी व्यवहारिक उदेश्य के लिए छूट प्राप्त परीविक्षाधीन को उसी बैच के परिवीक्षाधीन के समान मानता है और इस प्रकार वह अपने समान बैच के

अन्य परीविक्षाधीन की भांति ही जिन्हे परिवीक्षा से छूट नहीं दी गयी भारतीय पुलिस सेवा के रूप में माना जाएगा । भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 (1) के मुताबिक संवर्ग अधिकारी का अर्थ भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य के रूप में समझा जाएगा और अन्य शब्दों में परिवीक्षाधीन समझा जाता है।

12. यह दृष्टिकोण इसके व्यावहारिक परिणाम के अनुरूप भी है। यदि पी पी राव का निवेदन स्वीकार किया जाता है तो प्रचलित नियमों में इस कार्य को करने का कोई प्रावधान नही है। भारतीय पुलिस सेवा (परीविक्षा 1954 के नियम 10) के मुताबिक वे अधिकारी जो समान प्रतियोगी परीक्षा मे चूने गए और उसी बैच में परीविक्षाधीन है को वरिष्ठता के उदेश्य से एक सयुक्त सूची में शामिल किया जाएगा। जबकि अगले वर्ष की प्रतियोगी परीक्षा देने वाले लोगों की अगले बैच से सम्बंधित परथक वरिष्ठता सूची नियम 10 के अनुसार तैयार की जाएगी। यद्यपि छूट प्राप्त परिवीक्षाधीन द्वारा अगले बैच की प्रविक्षाधीन के साथ प्रशिकक्षण् आरंभ करने के बावजूद नियम इंटर-से वरियता, पिछ्ले बैच के छुट प्राप्त परीविक्षाधीन को अगले बैच के परीविक्षाधीनों से संवर्ग आवंटन के सम्बधं में नही दी जाएगी जो अगले वर्ष की अगले बैच की रिक्तियों के सम्बंध में होगा। यदि श्री पी. पी. राव का निवेदन सही है, तो उस उद्देश्य के लिए भी नियमों में कुछ और निर्धारित किया जाना चाहिए। नियमों में इस तरह के किसी भी प्रावधान की अनुपस्थिति एक स्पष्ट संकेत है कि छूट प्राप्त परिवीक्षाधीनों को एक ही

प्रतियोगी परीक्षा में चुने गए सभी लोगों के साथ एक ही बैच के परिवीक्षाधीनों के रूप में माना जाना चाहिए और यह उनके संवर्ग आवंटन सहित सभी उद्देश्यों के लिए होना चाहिए।

जो समान प्रतिस्पधा में परीक्षा में चयनित अधिकारियों के लिए उपलब्ध रिक्तियो के सम्बंध में होगी।

उसी वर्ष के पूरे बैच के लिए संबंधित संवर्ग आवंटन के लिए, संवर्ग आवंटन के उद्देश्य से विभिन्न बैचों के छूट प्राप्त परिवीक्षाधीन सहित किसी भी परिवीक्षाधीन को आपस में मिलाने का कोई तरीका नहीं है। सभी प्रासंगिक प्रावधानों के सामंजस्यपूर्ण निमार्ण (निष्कर्ष) के लिए भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 (1) के संवर्ग अधिकारी का अर्थ इस तरह से समझा और माना जाएगा और वह इस प्रकार से किए गए संवर्ग आवंटन के उद्देश्य और कारण को भी बढ़ावा देता है।

1.1.1988 से पूर्वव्यापी रूप से नियम 5 के उप-नियम (1) में जोड़ा गया स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए है जो इस स्पष्टीकरण की सहायता के बिना भी प्रावधानों में निहित है।

13. उपरोक्त दृष्टिकोण पर राहुल रसगोत्र प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा किया गया दावा 1993 के सिविल अपील सं. 5414 में किया गया दावा असमर्थनीय है। 1993 के सिविल अपील सं. 3844 में प्रत्यर्थी सं. 1, देश राज सिंह का दावा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और भी कमजोर है

क्योंकि वह छूट प्राप्त परिवीक्षाधीन भी नही था 'क्योंकि उसने अगली परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति के लिए अपना अनुरोध वापस ले लिया था। न्यायाधिकरण द्वारा यह निष्कष लिया गया कि 1.1.1988 में जो का पूर्वव्यापी संशोधन के माध्यम से नियम 5 (1) जोडा गया वह देश राज सिंह के आवेदन पर लागू नहीं होता है, जो संशोधन किए जाने के समय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित था, जब संशोधन किया गया प्रावधानों में जो मत लिया गया है और हमारे विचार को देखते हुए असमर्थनीय है और स्पष्टीकरण केवल मौजूदा स्थिति को स्पष्ट करता है।

14. इस मामले से अलग होने से पहले, हम इस बिन्दु पर बोलने के लिए विवश हैं। जिस तरह से सरकार की ओर से मामले आम तौर पर इस अदालत में भी चलाए जाते हैं और जब सरकार इसके खिलाफ दिए गए प्रतिकूल आदेश के परिणाम को दूर करने के लिए इस अदालत में आती है इस संबंध में हम गहरा दुख व निराशा दर्ज करते है।

क्योंकि मौखिक रूप से और कभी-कभी लिखित रूप में भी हमारे निरंतर विलाप ने अब तक सुधार के लिए कोई सराहनीय प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है। इसी तरह के एक अवसर पर, भारत संघ और अन्य में यह न्यायालय। वी. ए. राधाकृष्णन और अन्य। [1991] 3 एस. सी. आर. 895 ने इस प्रकार कहाः

" यह मामला एक बार फिर उस अयोग्यता को सामने लाता है जिस प्रकार भारत सरकार व राज्य सरकारो की ओर से महत्वपूर्ण मुददो पर भी जहां पक्षकारो को दूरगामी व वहृद नतीजे शामिल है।

उक्त् प्रकरण में रेल्वे प्रशासन की निति की वैद्यता संबंधित है जिससे कई इकाईयों के कमर्चारियो का स्वरूप प्रभावित होने की संभावना है और इसके बावजूद विवादित नीति की वैधता का समर्थन करने के लिए आवश्यक सामग्री उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई और विपरीत निर्णय में विजय पाने के हमारे द्वारा उत्पादन के लिए दिए गए कई अवस दिए जाने के बावजूद समग्र प्रासंगिक अभिलेख जमा नहीं कराया गया

सॉलिसिटर जनरल ने कई स्थगनों के बाद हमें सूचित किया कि बेहतर प्रदर्शन संभव नहीं है। अतः हमारे द्वारा सुनवाई समाप्त कर उपलब्ध सामग्री के आधार पर निर्णय किया गया।

वास्तव में अपीलार्थियों के लिए भाग्यहै कि हमारा निष्कर्ष उनके पक्ष में रहा स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। प्रत्यर्थीयों द्वारा यह तर्क रखा गया की प्रत्यथथीर् संख्या 1 को संवर्ग आवंटन सेवा के आवंटन से

पूर्व किया गया था, जो गलत था। इस तथ्य को गलत ठहराने के लिए दस्तावेजी सामग्री भारत सरकार के पास थी लेकिन उनके द्वारा ना तो यह न्यायधीकरण के समक्ष पेश कि गयी ना ही हमारे समक्ष जबकि उन्हें हमारे द्वारा कई अवसर दिए गए । विदवान अतिरिक्त सालीसीटर जनरल ने इस प्रकरण में अपनी बेहद असहाय स्थिति को व्यक्त करते हुए हमे यह सूचित किया कि संबंधित अधिकारियों से वह दस्तावेज प्राप्त करने व प्रस्तुत करने में वह असमर्थ रहे। उक्त रवैया भारत सरकार के संबंधित इस केस के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की उदासीनता को दरशाता है। हमे इस बात के लिए सुनिश्चित नही है कि इस प्रकार की लापरवाही के लिए जिम्मेदार व्यक्ति जो सरकार की ओर से इस प्रकरण के लिए कार्य कर रहे है वह ऐसा जानबुझकर कर रहे है या अनजाने में कर रहे है लेकिन निश्चित तौर पर वे दोषी है और संबंधित अधिकारियों द्वारा उनकी पहचान की जाकर ऐसे दोषियो को सार्वजनिक हित में सजा दी जानी चाहिए। यह समय है कि यह समय है कि दोषियों को उनकी खामियों के कारण सार्वजनिक धन के नुकसान के लिए भी जवाबदेह और उत्तरदायी ठहराया जाए। अब और गिरावट को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने और प्रणाली के कामकाज में सुधार के लिए किए गए घोषित वादों को लागू करने के लिए चरण पर पहुंच गया है। सरकारें सबसे बड़ी वादी होने के नाते, तुच्छ मुकदमेबाजी को कम करके और आवश्यक मुकदमेबाजी का उचित संचालन सुनिश्चित करके तंत्र के कामकाज में आमूलचूल सुधार की आवश्यकता है।

जब तक इस संबंध में वांछनीय कदम सही मायने में नहीं उठाए जाते हैं, तब तक न्यायालयों में बैकलॉग को कम करने के लिए साधन तैयार करने के लिए कितने भी सेमिनार और सम्मेलन व्यर्थ हैं और उनमें किए गए प्रस्ताव खाली नारे हैं। हम इसे इस उम्मीद के साथ दोहराते हैं कि संबंधित अधिकारी वास्तविक अस्वस्थता के बारे में जागेंगे और इस कार्यक्रम पर काम करेंगे और अपनी मशीनरी में वास्तव में सुधार करेगें।

15. नतीजतन, इन दोनों अपीलों की अनुमति दी जाती है। द इम्पाग्ड

ए.दोनों मामलों में न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों को दरकिनार किया जाता है परिणामस्वरूप राहुल रसगोत्रा और देश राज सिंह के द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत आवेदनों को खारिज किया जाता है। कोई लागत नहीं

टीएनए अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सीमा जुनेजा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्येश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्येश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।